

# कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

## उत्तर प्रदेश जल निगम

(उप प्रो सरकार का उपक्रम)



प्रधान कार्यालय:- टी.सी.-38-बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

URL: www.cdsupjn.org

e-mail: director@cdsupjn.org

पत्र क्र: 1072/महाप्रब(नि-11)/ई-टेण्डर / 240

दिनांक: 25/09/2023

Plot No. Builders,  
Plot No. Jagatpur, Post Sarkhera Khas,  
Meerut Road, Aligarh (U.P.) 202001

Letter of Acceptance  
Speed Post

**Construction of Kalyan Mandap at Nagar Panchayat, Jawan Sikanderpur Distt, Aligarh के कार्य हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदा (आईडीडी-2023\_UPCDS\_820772\_1 की फाइनलियल बिड की स्वीकृति उपरान्त एलायन्स जारी करने सम्बन्ध में)**

कृपया धरियोजना प्रबन्धक, यूनिट-25, सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ के ई-निविदा सूचना पत्रक 1225/ई-टेण्डर/147 दिनांक 07/10/2023 एवं निविदा आईडीडी-2023\_UPCDS\_820772\_1 का सम्बन्ध में, जिसके माध्यम से जलनगद अलीगढ़ के नगर पंचायत जवाँ शिकंदरपुर में कल्याण मण्डप के निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित ई-निविदा (निविदा लागत रु० 241.43 लाख) हेतु दिनांक 12.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक ई-निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त ई-निविदा में आपके द्वारा की गयी दर निविदा लागत से -3.08% (तीन दशमलव, शून्य छ. प्रतिशत) कम अर्थात् रु० 234.06 (दो सौ करोड़ चालीस लाख चार हजार मात्र) (लेबर सेट सहित एवं जी०एस०टी०सहित) प्रथम न्यूनतम पायी गयी है, जिसकी सहायता से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि मुख्य अभियंता, पी०पी०आर०सी०डी०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ कार्यालय जल सं०-158/1009/022-0001/निविदा/डी०पी०आर०सी०डी०/22 दिनांक 14/05/2022 द्वारा निर्गत आदेशानुसार आप सरकार/सर्व सिचुरिटी (Performance Security) हेतु निम्नानुसार धनराशि की FDR/Bank Guarantee जो निविदा में परिचित भेजी के बैंक द्वारा जारी किया गया हो तथा जो निम्नांकित क्रमांक-1,2 एवं 3 हेतु डिपॉजिट सचिवालय अलीगढ़ के पत्रक 45 दिनांक 07/10/2023 तक जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ के कार्यालय में जमा करके निम्नानुसार निर्धारित पत्र पर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हों।

1. परफॉरमेंस सिचुरिटी निर्धारित लागत रु० 234.06 लाख का 10% रकम रु० 23.41 लाख स्पष्ट किया जाता है कि धरियोजना प्रबन्धक, यूनिट-25, सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 07/10/2023 तक उपस्थित होकर आप द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण न करने पर आपकी Earned Money जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख/साधक पत्र की निर्धारित तिथि तक धरियोजना प्रबन्धक, यूनिट-25, सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 07/10/2023 तक उपस्थित होकर उपलब्ध करावें।

- 2- अनुबन्ध निष्पादन हेतु रु० 100/- (सौ रुपये मात्र) का नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिस पर 2/- (दो रुपये मात्र) का स्टैम्प टिकट लगा हो।
- 3- सामान्य शुल्क के रूप में रु० 100/- (एक सौ रुपये मात्र) का नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर।
- 4- सामान्य प्रमाण में नोटरी द्वारा सत्यापित साधक पत्र, जो रु० 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर दक्षिण किया गया हो।

कृपया नोट करें कि आप द्वारा अपने तकनीकी व वित्तीय योग्यता के समर्थन में जो भी अभिलेख जमा किये गये हैं, उनका सत्यापन करवाया जा रहा है। आप द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज यदि भविष्य में कभी भी असत्य पाया जाता है तो आपकी जमानगी धनराशि जब्त कर लेने के साथ ही साथ निविदा/अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

सालगमक-उपरोक्तानुसार।

(नौसदर अंगुष्ठ)  
महाप्रबन्धक(नि-11)

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- मुख्य महाप्रबन्धक(धनुर्वा), सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 2- महाप्रबन्धक(नि-3/नं०जल), सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 3- विल अफिसरी, सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 4- धरियोजना प्रबन्धक, यूनिट-25, सी० एण्ड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित रुि फर्म द्वारा प्रस्तुत सॉल्वेन्सी/हिसाबत प्रमाण पत्र, बैंक गारन्टी/एफ०डी०आर० एवं कार्य अनुबन्ध प्रमाण पत्र आदि प्रमाणों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्माता/आरीकर्ता अथवा रिडी से अनिवार्य रूप से करने के उपरान्त समस्त अभिलेख तैयार कराकर निर्धारित तिथि तक अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु फर्म के प्रतिनिधी के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकट में आते हैं तो उसके लिए आप और यूनिट लेखाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)  
महाप्रबन्धक(नि-11)